निविदा प्रारूप

समाहरणालय पूर्णियाँ

(जिला योजना कार्यालय)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत श्री संतोष कुमार, माननीय सांसद, पूर्णियाँ द्वारा जिले के विभिन्न मध्य विद्यालयों/उच्च विद्यालयों/+2 विद्यालयों/महाविद्यालयों/तकनीकी संस्थानों एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों की सूची के साथ अपने सांसद मद से पुस्तकों के क्रय हेतु अनुशंसित पुस्तकों की सूची उपलब्ध करायी गयी है। तद्आलोक में संस्थानों एवं अनुशंसित पुस्तकों की सूची विभागीय स्तर से जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णियाँ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित है। पुस्तकों के क्रय हेतु निबंधित एवं ख्याति प्राप्त प्रकाशक /प्राधिकृत वितरकों जिन्हे **ISO** प्रमाण पत्र प्राप्त है, से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दोनों अलग अलग मुहरबंद लिफाफे में होना चाहिए। पुनः दोनों मुहरबंद लिफाफा एक बड़े लिफाफे में मुहरबंद कर फर्म का पूरा नाम एवं पता अंकित होनी चाहिए।

निविदा में निम्न शर्तों का अनुपालन आवश्यक है :–

1. तकनीकी बीड में आपूर्तिकर्त्ता को बिहार वाणिज्य–कर तथा **C.S.T** में निबंधित होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है (**VAT** एवं **C.S.T**)।
2. निविदा दाता को विगत 3 वर्षों का **Audited Balance Sheet** एवं आयकर रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. निविदा के साथ 25000.00 (पचीस हजार रूपये) मात्र का अग्रधन राशि का **Bank Draft** जिला योजना पदाधिकारी, पूर्णियाँ के नाम से भुगतेय संलग्न होनी चाहिए।
4. निविदा दाता को ख्याती प्राप्त प्रकाशक/प्राधिकृत आपूर्तिकर्त्ता/अन्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी होने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
5. आपूर्तिकर्त्ता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का **NOTARY PUBLIC** द्वारा शपथपत्र देना होगा।
6. क्रय की जाने वाली पुस्तकों के टाईटिल पृष्ट एवं मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन मान्य नहीं होगा।
7. बाल साहित्य के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें 60 पृष्ट से कम रहने पर मान्य नहीं होगा।
8. क्षतिग्रस्त अथवा न्यूजप्रिन्ट पर छपी पुस्तकें स्वीकार नहीं की जाएगी।
9. बिहार की क्षेत्रीय भाषाओं एवं बिहार के प्रमुख रचनाकारों की पुस्तकों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रत्येक पुस्तक अधिमानतः आई एस0बी0एन0 संख्या के साथ चयनित की जायेगी।
10. **National Book Trust, NCERT** प्रकाशन विभाग या अन्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी प्रतिष्ठानों की पुस्तकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
11. पुस्तकों के क्रय हेतु छूट की निम्नांकित न्यूनतम दरें निर्धारित की जायेगी :–

(क)	1 से 10 प्रतियों पर	10 प्रतिशत

(ख)	11 से 25 प्रतियों पर	15 प्रतिशत
(ग)	26 से 100 प्रतियों पर	20 प्रतिशत
(घ)	101 से 200 प्रतियों पर	25 प्रतिशत
(ड0)	201 से 500 प्रतियों पर	30 प्रतिशत
(च)	501 से उपर प्रतियों पर	35 प्रतिशत

12. प्रकाशन उपर्युक्त निर्धारित छूट से यदि अधिक छूट देना चाहे तो स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा कि कितनी छूट दे सकते हैं।
13. नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तकों का रेल पार्सल स्वीकार नहीं की जाएगी।
14. नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तकों में निम्नांकित सूचनाएँ निश्चित रूप से अंकित की जाय।
    (क) पुस्तक का नाम :–
    (ख) लेखक का नाम एवं पूरा पता :–
    (ग) प्रकाशक का नाम एवं पूरा पता :–
    (घ) विषय :–
    (ड0) प्रकाशन वर्ष :–
    (च) पृष्ट संख्या :–
    (छ) साजिल्द/अजिल्द एवं मूल्य मुद्रित।
15. नमूने की एक–एक प्रति कार्यालय अवधि में विशेष वाहक तथा (रज़िस्टर्ड पार्सल) द्वारा प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अन्दर प्राप्त की जाएगी। उक्त तिथि के बाद प्राप्त किसी पुस्तक पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा किसी प्रकार का व्यय नहीं किया जाएगा।
16. पुस्तकों का दर सभी कर एवं परिवहन शूल्क सहित अंकित होनी चाहिए।
17. पुस्तकों की आपूर्ति आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर संबंधित विद्यालयों में करनी होगी।
18. जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ को बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
19. माननीय सांसद, पूर्णियाँ द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले संस्थानों की सूची एवं अनुशंसित पुस्तकों की सूची जिला योजना कार्यालय, पूर्णियाँ से किसी भी कार्य अवधि में प्राप्त की जा सकती है। साथ ही इसे पूर्णियाँ जिले के वेबसाईट **www.purnea.bih.nic.in** पर भी देखा जा सकता है।
20. निविदा में चयनित आपूर्तिकर्त्ता को कार्यादेश के पूर्व 5 प्रतिशत जमानत की राशि का डिमांड ड्राफ्ट जिला योजना पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पद्नाम से जमा करना होगा।
21. उचित गुणवत्ता की पुस्तकें एवं निर्धारित समय अवधि पर आपूर्ति नहीं किये जाने पर **Liquidated Damage** एवं ~~**Panel**~~ Penal **Provision** के तहत जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी। साथ ही काली सूची में दर्ज करने हेतु कार्यवाही की जाएगी।

79

जिला योजना कार्यालय, पूर्णियाँ में मुहरबंद निविदाएँ दिनांक 18/6/15 को अपराह्न 2.00 बजे तक प्राप्त किये जाएंगे एवं उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जाएगा।

19/5/15 जिला योजना पदाधिकारी, पूर्णियाँ।	उप विकास आयुक्त, पूर्णियाँ।	27/5/15 जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ।